दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)
वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 21/2017

मुख्य लेखा अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जारी वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 16/2017 दिनांक 10.08.2017 और इस संबंध में जारी अन्य परिपत्रों/आदेशों के अधिक्रमण में, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. परामर्शदाता (सेवानिवृत्त कर्मचारियों से अलग) के पद पर नियुक्त अधिकारियों के पारिश्रमिक में निम्न प्रकार से संशोधन करते हैं :-

क्र.सं. (क)	अधिकारियों की रैंक/इस रैंक के समकक्ष (ख)	छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार निम्नलिखित ग्रेड वेतन के साथ (ग)	नियुक्ति के समय पर न्यूनतम अनुभव (घ)	01.04.2017 को पारिश्रमिक (रुपये में) (ङ.)	दिनांक 01.07.2017 से संशोधित पारिश्रमिक (च)
1	वरिष्ठ परामर्शदाता/ निदेशक, योजना/जी.आई. एस./ यूटीपैक/ वास्तुकला/भू-दृश्य/ एलएस.ए.	7600	20	65000	70000
2	वरिष्ठ विधि अधिकारी	6600	12	59800	64400
3	वास्तुविद्/उप निदेशक, वास्तुकला/योजना/जी. आई.एस./यूटीपैक/एल. एस., एल.एस.ए.	6600	12	59800	64400
4	सहायक निदेशक, योजना/जी.आई.एस./ यूटीपैक/वास्तुकला/ भू-दृश्य/एल.एस.ए., सहायक वास्तुविद्	5400	02	49400	53200
5	(क) सहायक लेखा अधिकारी [दिसंबर, 2016 तक नियुक्त]	4800	व्यावसायिक अर्हता	44200	47600
	(ख) सहायक लेखा अधिकारी [2017 तक नियुक्त]	4800	व्यावसायिक अर्हता	35000	40000
6	कनिष्ठ विधि अधिकारी	4800	02	42900	46200
7	वास्तुशिल्पीय सहायक	4600	02	40300	43400

8	विधि सहायक	4600	02	36400	39200
9	ड्राफ्ट्समैन	2400	02	22100	23800

(2) 01.01.2017 से पहले नियुक्त हुए परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त अधिकारियों से अलग) के मामले में पारिश्रमिक ऊपर तालिका के कॉलम (च) के अनुसार निर्धारित किया जाएगा । नियुक्ति की तिथि का ध्यान न रखते हुए परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त अधिकारियों से अलग) का पारिश्रमिक दिनांक 01.07.2017 को निर्धारित/भुगतान किए गए वेतन पर दिनांक 01.04.2018 से 7.5% तक बढ़ाया जाएगा ।

(3) जून–जुलाई में नियुक्त किए गए परामर्शदाता सहायक लेखा अधिकारी का पारिश्रमिक 35000/–रु. प्रतिमाह से 40,000/–रु. प्रतिमाह तक बढ़ाया गया है और यह 1 अगस्त, 2017 से लागू होगा । उनका पारिश्रमिक दिनांक 01.07.2017 को निर्धारित किए गए वेतन पर ऊपर पैरा–2 के अनुसार दिनांक 01.04.2018 से 7.5% तक बढ़ाया जाएगा ।

(4) भू–दृश्य/वास्तुकला/योजना विंग में अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए वास्तुविदों को ऊपर तालिका के क्रम संख्या में दिए गए योजना, भू–दृश्य और वास्तुकला मं सहायक निदेशकों की रैंक के बराबर पारिश्रमिक दिया जाएगा ।

(5) नई भर्ती परियोजना आधारित और रिक्त पदों/स्वीकृत पद संख्या के बदले हो ।

(6) अनुबंध आधार पर नई भर्ती के मामले में, व्यावसायिक अर्हता धारक सहायक लेखा अधिकारियों, जिन्हें तालिका की क्रम संख्या 5 (ख) के कॉलम (च) में दिए गए पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा, को छोड़कर अन्य को ऊपर तालिका के कॉलम (ड.) में दिए गए पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाएगा ।

(7) भविष्य में, कार्मिक शाखा खुले विज्ञापनों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी । संबंधित विंग के विभागाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट औचित्य और वित्तीय सहमति के पश्चात् ही प्रस्तावों को, उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाए ।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

सं. एफ.ई.16(24)2008/डी.डी.ए./वोल –VII/428 **दिनांक : 04.09.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष/वित्त सदस्य/अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
2. सभी आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी;
3. सभी मुख्य अभियंता;
4. आयुक्त एवं सचिव/आयुक्त (कार्मिक)/आयुक्त (खेल)/मुख्य विधि सलाहकार/आयुक्त (योजना)/मुख्य वास्तुविद्/अपर आयुक्त (भू–दृश्य);

5. निदेशक, कार्मिक–I और II / निदेशक, सतर्कता–I;
6. उप निदेशक (कार्मिक)–I / उप निदेशक (भर्ती प्रकोष्ठ);
7. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)–I / उप मुख्य लेखा अधिकारी (रोहिणी) / उप मुख्य लेखा अधिकारी (सतर्कता);
8. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, आकस्मिक व्यय / प्रारंभिक अनुमान / वेतन एवं लेखा अधिकारी (पूर्वी पश्चिमी) / खेल;
9. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)